न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अभयसिंह पुत्र श्री शंकरलाल उर्फ शिवशंकर जाति पाल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश।
2. श्री जोगेन्दर यादव पुत्र श्री रामअवतार यादव निवासी बोडीहार थाना बखीरा जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तरप्रदेश व अन्य।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री भंवरसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.12.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2019 को श्री सोमाराम हैड कानि. ने श्री विक्रमसिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही को सूचना दी कि महादेव होटल नेशनल हाईवे नं. 62के बाडे मे बाहर खाली जगह पर एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है। उक्त सूचना पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य के पहुचे। मौके पर एक टैंकर जिसमे 23958 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें 310 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक के जरीकन जिनमें 40 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 23958 लीटर डीजल टैंकर मे भरा हुआ तथा 350 लीटर डीजल ड्रमो एवं जरीकनो मे डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल के बारे मे अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही देने से उक्त डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सरकार की ओर से सहायक लो[illegible] अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री [illegible]रा निवेदन किया गया कि दिनांक [illegible]2019 को श्री सो[illegible] हैड कानि. पुलिस थाना पालडी एम ने श्री विक्रमसिंह [illegible] की सूचना दी कि महादेव [illegible] नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम [illegible]डे मे बाहर खाली जगह [illegible] टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है और बाडा मालिक को उक्त चोरी किया हुआ डीजल कम दामो पर बेचान कर रहे है। उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सूचना पर श्री विक्रमसिंह उपअधीक्षक सिरोही मय अन्य हैड कानि. के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर बाडे में खडा टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर दो आदमी खडे हुए मिले और एक आदमी नीचे पाईप से डीजल निकालता दिखाई दिया। उनसे उनके नाम पूछने पर बताया कि टंकी पर चढे हुए आदमी का नाम श्री अभयसिंह पुत्र श्री शंकरलाल जाति पाल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश एवं पाईप से डीजल निकालने वाले व्यक्ति का नाम श्री जोगेन्दर यादव पुत्र श्री रामअवतार यादव निवासी बोडीहार थाना बखीरा जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तरप्रदेश बताया एवं टंकी पर चढा हुआ दूसरा आदमी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री शोभनाथपाल निवासी जलालपुर पुलिस थाना कासबा उतरोण इलाहाबाद उत्तरप्रदेश बताया, जो टंकी से कूदकर भाग गया था। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 40 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो बाडा मालिक को बेचना था। मौके पर दो बडे ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के पाए गए, जिसमें से एक ड्रम में 160 लीटर एवं दूसरे ड्रम में 150 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा पास में दो प्लॉस्टिक के 20–20 लीटर क्षमता के जरीकन डीजल से भरे हुए थे, जिनमें कुल 40 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 24 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें कुल 23958 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री अभयसिंह की पेन्ट से चालक द्वारा तोडी गई पांच सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को बाडा मालिक द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार कुल 23958 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 350 लीटर डीजल, जो ड्रमों तथा प्लास्टिक जरीकनों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त डीजल नायरा एनर्जी लिमिटेड कम्पनी का था, जिसे जब्त सरकार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त डीजल को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर [illegible] को श्री सोमाराम हैड कानि. पुलिस थाना पालडी एम ने श्री विक्रम[illegible]कारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि महादेव होटल नेशन[illegible]डे में बाहर खाली जगह पर एक टैंकर [illegible] डीजल की चोरी कर रहे है और बाडा मालिक [illegible] डीजल कम दामों पर बेचान कर रहे है। उक्त सूचना पर श्री विक्रमसिंह उपअ[illegible]क सिरोही मय अन्य हैड कानि. के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर बाडे में खडा टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर दो आदमी खडे हुए मिले और एक आदमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नीचे पाईप से डीजल निकालता दिखाई दिया। उनसे उनके नाम पूछने पर बताया कि टंकी पर चढ़े हुए आदमी का नाम श्री अभयसिंह पुत्र श्री शकरलाल जाति पाल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश एवं पाईप से डीजल निकालने वाले व्यक्ति का नाम श्री जोगेन्दर यादव पुत्र श्री रामअवतार यादव निवासी बोडीहार थाना बखीरा जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तरप्रदेश बताया एवं टंकी पर चढ़ा हुआ दूसरा आदमी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री शोभनाथपाल निवासी जलालपुर पुलिस थाना कासबा उतरोण इलाहाबाद उत्तरप्रदेश बताया, जो टंकी से कूदकर भाग गया था। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर मे से 40 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो ढाबा मालिक को बेचना था। मौके पर दो बडे ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के पाए गए जिसमे से एक ड्रम मे 160 लीटर एवं दूसरे ड्रम मे 150 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा पास मे दो प्लास्टिक के 20–20 लीटर क्षमता के जरीकन डीजल से भरे हुए थे, जिनमे कुल 40 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर का माप करने पर टैंकर 24 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमे कुल 23958 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री अभयसिंह की पेन्ट से चालक द्वारा तोडी गई पांच सीले जब्त की गई। उक्त व्यक्तियो से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को ढाबा मालिक द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद मे उच्च दामो मे अन्य लोगो को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार कुल 23958 लीटर डीजल टैंकर मे तथा कुल 350 लीटर डीजल, जो ड्रमों तथा प्लास्टिक जरीकनो मे भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्राथी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्राथी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया 23958 लीटर डीजल, जो टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 मे भरा हुआ था, नायरा एनर्जी लिमिटेड का था, जिसके बिल की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः टैंकर मे भरे हुए कुल 23958 लीटर डीजल को उसके स्वामी को लौटाना न्याय संगत होगा। यह है कि मौके पर ड्रमो एवं प्लास्टिक जरीकनो भरा हुआ कुल 350 लीटर डीजल, जिसके अप्राथी के पास कोई बिल या अनुज्ञापत्र उपलब्ध नही होने से चोरी का डीजल होना प्रतीत होता है एवं इसके संबंध मे अप्राथी अधिवक्ता ने भी किसी भी प्रकार का कोई बिल प्रस्तुत नही किया है। अतः ड्रमो एवं प्लास्टिक जरीकनों भरे हुए कुल 350 लीटर डीजल को राज्यसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 मे भरा हुआ कुल 23958 लीटर डीजल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को उसके मालिक को दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है एवं मौके पर ड्रमों एवं प्लास्टिक जरीकनो भरा हुआ कुल 350 लीटर डीजल चोरी का प्रतीत होने से एवं बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए के तहत् प्राथी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये डीजल को समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे ... गए डीजल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओ ... राजकोष जमा कराने की कार्यवाही ... चालान की प्रति ... न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner